न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 124/2020

जी.सी..एम.एस.पोर्टल नम्बर–2020/00157

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
लोकेश पारीक पुत्र मोतीलाल आयु 39 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ओलादन तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर, उचित मूल्य दुकानदार ओलादन तहसील मेड़ता जिला. नागौर		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति

1. अपीलान्ट की ओर से वकील **श्री कैलाश गालवा।**
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) **श्री रामजीवन बेनीवाल।**

निर्णय **दिनांक–** 01/04/2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 37/2020 राजस्थान सरकार बनाम लोकेश पारीक निर्णय दिनांक 22.07.2020 के विरूद्ध दिनांक 27.08.2020 को पेश की है। अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के प्रवर्तन निरीक्षक योगेश कुमार द्वारा अपीलांट के विरूद्व पुलिस थाना कुचेरा द्वारा एफआईआर नम्बर 47/2020 गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गई, जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया व किसी भी प्रकार का गबन नहीं किया गया। मात्र राजनैतिक द्वेषता के चलते व राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण अपीलांट के विरूद्व गलत रूप से कार्यवाही की गई व गलत रूप से कार्यवाही के आधार पर दिनांक 22.07.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 30.07.2020 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई, जिससे अन्दर मियाद यह अपील अपीलांट पेश की है, फिर भी विधिक तकनीकी बाध्यताओ से बचने के लिए यह आवदेन पेश करने का कथन करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यायहित [illegible] अपील की मैरिट पर सुनवाई किया जाना उचित होने से अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट/प्रार्थी लोकेश पारीक उचित मूल्य दुकानदार [illegible] के विरूद्व एक विभागीय प्रकरण संख्या 37/2020 में दिनांक 16.06.2020 को पेशी पर उसकी उपस्थिति दर्ज है, इसके पश्चात आगामी पेशियो पर सूचना के बावजूद भी अनुपस्थित तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 05.06.2020 के क्रम में दिये गये निर्देशो के क्रम में प्रकरण में निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:35:26 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

31.07.2020 से पूर्व लिये जाने हेतु निर्देशित किया। अप्रार्थी लोकेश पारीक उचित मूल्य दुकानदार ओलादन तहसील मेड़ता के विरूद्व खाद्य विभाग जयपुर से एवं जिला रसद अधिकारी के वॅाटसअप पर शिकायत प्रस्तुत हुई, जिसमे मार्च का गेहूं डीलर ने वितरण नहीं किया है। ग्रामवासियो से प्राप्त शिकायत की जांच करने व माहामारी के समय डीलर द्वारा ग्रामवासियो को राशन समय पर दिया गया अथवा नहीं, डीलर द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियो का गेहूं पात्र व्यक्तियो को नहीं देकर दुरूपयोग किया है तो डीलर के विरूद्व एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करे व प्रवर्तन निरीक्षक योगेश कुमार ने दुकान का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रपत्र पेश किया व इसके अनुसार उचित मूल्य दुकान पर सूचनाओ का अंकन नहीं पाया गया एवं मार्च 2020 में बिना ओटीपी के जिन उपभोक्ताओ को वितरण किया गया, उनका वितरण रजिस्टर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्रस्तुत नही कर पोश मशीन संख्या 22664 द्वारा बिना बाई रिजन गेहूं का 73.70 एवं 40 लीटर केरोसीन का वितरण किया हुआ है, जो उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नहीं देकर दुरूपयोग किया गया है। उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त वितरण का दुरूपयोग गबन किये जाने पर उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र रसद कार्यालय के आदेश क्रमांक 454 दिनांक 06.04.2020 द्वारा निलम्बित कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना कुचेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 47 दिनांक 05.04.2020 को दर्ज करवाई गई। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार लोकेश पारीक को दुरूपयोग, गबन व सूचना पट्ट में पूर्ण सूचना नहीं होने का आधार मानते हुए एवं राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 8 एवं 9 में प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया व जमासुदा प्रतिभूति राशि 1000/– रूपये जब्त किये गये। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3(1)—आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत, अपीलांट को सुने बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3(2)—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो भी आरोप अपीलांट पर अधिरोपित करते हुए उनके विरूद्व दिनांक 22.07.2020 को प्रकरण संख्या 37/2020 में कार्यवाही की है, वो बिना पूर्ण सुनवाई के व अपीलांट की ओर से बिना साक्ष्य सबूत व जवाबदेही प्रस्तुत करने से विरक्त रखते हुए एकपक्षीय रूप से जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

3(3)—अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को राजस्थान खाद्य एवं अन्य पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत बिना जांच किये व झुठी शिकायत के आधार पर उनके विरूद्व कार्यवाही की गई, जबकि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का गबन व शर्तो का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिन व्यक्तियो के पर्चा बयान दर्ज किये गये, जिनमे प्रतापसिंह पुत्र लुणसिंह निवासी ओलादन व नरपतसिंह पुत्र ईश्वरसिंह निवासी ओलादन, माधोसिंह पुत्र काननसिंह निवासी ओलादन के बयान लिये गये, जिनके आधार पर अपीलांट को गबन व शर्तो के उल्लंघन का दोषी माना गया, जबकि उस वक्त कोविड–19 महामारी के चलते पोश मशीनो के बिना गेहूं व केरोसीन का वितरण किया जाता था। जिसमे उक्त दोनो व्यक्तियो के घर वालो को गेहूं का वितरण नियमानुसार किया गया एवं किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये जैर अपील निर्णय पारित कर दिया, जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

3(4)—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 37/2020 में अपीलांट के उचित मूल्य दुकान पर सूचनाओ का अंकन नहीं पाया जाना लिखते हुए शर्तो का उल्लंघन करना बताया गया, जबकि अपीलांट द्वारा ऐसी किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पोश मशीन संख्या 22664 द्वारा बाई रिजन गेहूं का 73.70 क्विंटल एवं 40 लीटर केरोसीन का वितरण किया है एवं उक्त वितरण उपभोक्ताओ को न करके दुरूपयोग किया गया, जबकि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन नही किया गया, न ही किसी प्रकार का कोई शर्तो का उल्लंघन किया गया, न ही अपीलांट द्वारा गेहूं व केरोसीन का दुरूपयोग किया गया, जो भी उपभोक्ता थे, उनको शर्तो के अनुरूप ही व कोविड–19 महामारी के चलते अधीनस्थ न्यायालय व विभाग के आदेशानुसार ही बिना पोश मशीन के व बिना ओटीपी के गेहूं देने के निर्देशो के अनुरूप गेहूं व केरोसीन तेल का वितरण उपभोक्ताओ में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:35:26 IST
Reason: Self Attested

कलक्टर, नागौर

नियमानुसार किया गया, इसमे किसी प्रकार का गबन व शर्तो का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया। इन तथ्यो व परिस्थितियो के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय अपीलांट के विरूद्व पारित किया है, जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

3(5)—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में की गई कार्यवाही के तहत जब अपीलांट का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया, तो उक्त निलम्बन के विरूद्व अपीलांट ने श्रीमान राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल रिट पीटिशन प्रस्तुत की गई, जिसमे भी अपीलांट के पक्ष में आदेश पारित करते हुए निलम्बन को निरस्त किया गया। इस प्रकार श्रीमान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश को मद्देनजर रखते हुए अपीलांट ने किसी प्रकार का शर्तो का उल्लंघन व गबन इत्यादि नहीं किया गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र राजनैतिक द्वेषता के चलते व झुठी शिकायतो के आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया, जो निर्णय दिनांक 22.07.2020 को पारित किया गया हैं, वो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)—अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के प्रवर्तन निरक्षक योगेश कुमार द्वारा अपीलांट के विरूद्व पुलिस थाना कुचेरा द्वारा एफआईआर नम्बर 47/2020 गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई, जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया व किसी भी प्रकार का गबन नहीं किया गया। मात्र राजनैतिक द्वेषता के चलते व राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण अपीलांट के आधार के विरूद्व गलत रूप से कार्यवाही की गई, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन अदम वकु (गलत फहमी) में न्यायालय में पेश कर दी है, इसलिए भी दिनांक 22.07.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व व कानून के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के प्रकरण संख्या 37/2020 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2020 को निरस्त किये जाने व अपीलांट के प्राधिकार पत्र को पूर्ववत रिस्टोर किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

4. प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक श्री योगेश कुमार द्वारा अपीलान्ट की शिकायत की जॉच हेतु ओलादन पहूँच कर निरीक्षण कर निरीक्षण प्रपत्र व फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 05.04.2020 को मौके पर तैयार की एवं माधोसिंह पुत्र कानसिंह, प्रतापसिंह पुत्र लुणसिंह, नरपतसिंह पुत्र ईश्वरसिंह निवासीगण ओलादन के दिनांक 05.04.2020 को बयान आदि लिये गये, जिनके बयानों से अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप प्रमाणित रहे है। जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या–37/2020 दर्ज द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 06.04.2020 एवं तत्पश्चात दिनांक 16.06.2020 को कारण बताओं नोटिस को जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट दिनांक 16.06.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। इसके बाद में आगामी तारीख पेशी 24.06.2020, 07.07.2020 एवं 15.07.2020 नियत की गई, परन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ और न ही कोई जबाब प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड के आधार पर दिनांक 22.07.2020 को उक्त विभागीय प्रकरण में निर्णय पारित कर अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1000/—रूपये जब्त कर जारी प्राधिकार पत्र को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया, जो पूर्णतया सही है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में उसके विरूद्ध विभागीय प्रकरण की पूरी जानकारी थी एवं अपीलान्ट को जबाब आदि प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर [illegible] था, फिर भी अपीलान्ट ने जानबूझ कर अपने विरूद्ध आरोपों के बचाव में कोई [illegible] एवं साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में [illegible] एवं साक्ष्य सबूत क्यों नहीं पेश किये, इस संबंध में इस अपील में भी [illegible] उल्लेख नहीं किया है। अब अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय [illegible] हुए यह अपील प्रस्तुत की है, जो विधि सम्मत नहीं है एवं अपीलान्ट को अपने विरूद्ध विभागीय प्रकरण की पूरी जानकारी होने के बावजूद अपीलान्ट द्वारा उचित अवसर मिलने के बाद भी बचाव में जबाब आदि प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रवर्तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:35:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

निरीक्षक द्वारा वक्त निरीक्षण उ0मू0दू0 पर सूचनाओं का अंकन नहीं करना पाया गया, जिसकी ताईद निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 05.04.2021 से होती है। अपीलान्ट द्वारा वक्त निरीक्षण उ0मू0दु0 पर सूचनाओं का अंकन होने बाबत कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वक्त निरीक्षण मौके पर श्री प्रतापसिंह, नरपतसिंह एवं माधोसिंह निवासीगण ओलादन के बयान लिए गये जिसमें उनके द्वारा उनके राशन कार्ड पर अपीलान्ट द्वारा 31.03.2020 को गेहूँ निकालना परन्तु उन्हे प्रदान नहीं किया जाना बताया है। फर्द मौका दिनांक 05.04.2020 के अनुसार गांव की पोल में उपस्थित होकर उपभोक्ताओं द्वारा बताया कि मार्च 2020 का गेहूं उन्हे राशन डीलर ने प्रदान नहीं किये। कई उपभोक्ताओं के मोबाईल नम्बरों पर ओटीपी आया कि आप गेहूँ प्राप्त करे जबकि वह गेहूँ लेने ही नहीं गये। निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 05.04.2020 पर अंकित है कि "पोश मशीन में दर्ज केरोसीन की मात्रा के बारे में डीलर ने बताया कि यह गलती से पोश मशीन नम्बर 22664 में दर्ज हो गया है"। फूड एण्ड सिविल सप्लाई डिपार्टमेन्ट बेवसाईट से निकाली गई ट्रॉजेक्शन समरी रिपोर्ट के अनुसार एफपीएस कोड संख्या 22664 से 7370.00 किलोग्राम गैहूँ एवं 40 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन नम्बर 22664 का माह मार्च 2020 का ओटीपी की वैकल्पिक व्यवस्था बाई रिजन के माध्यम से गेहूं 73.70 क्विंटल व 40 लीटर केरोसीन का वितरण किया है। खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांकः एफ–6( )खा.वि./कम्प्युटर/PoS-Part-1/2018–19 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार कोरोना वाइरस बीमारी के कारण डीलर द्वारा लाभार्थी का राशनकार्ड नम्बर पोश मशीन में प्रविष्ट करने के पश्चात् लाभार्थी के मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा तत्पश्चात् पोश मशीन में ओ.टी.पी. नम्बर दर्ज कर राशन का वितरण पोश मशीन से किया जायेगा। यदि लाभार्थी डीलर को तय सीमा में ओ.टी.पी. उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो उस दशा में ही कारण अंकित करते हुए राशन का वितरण पोश मशीन से किया जायेगा तथा ऐसे सभी ट्रांजेक्शन की प्रविष्टि कारण सहित एक रजिस्टर में की जायेगी, के निर्देश है। अपीलांट द्वारा वितरण के संबंध में दौराने जांच कोई वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया है एंव तत्पश्चात् भी विभागीय प्रकरण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा सूची दस्तावेज के साथ दिनांक 25.03.2021 को एफ.आर. की प्रमाणित प्रतियां न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है, जिसमें वितरण रजिस्टर की प्रतियां अवश्य प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा दौराने जांच एंव विभागीय प्रकरण की कार्यवाही के दौरान उक्त रजिस्टर प्रस्तुत क्यों नहीं किया इसका कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया है। अपीलांट द्वारा बाद में सोच विचार कर अपने बचाव में पुलिस के समक्ष उक्त वितरण रजिस्टर की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राशन सामग्री वितरण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था एंव उक्त गेहूं व केरोसीन उपभोक्ताओं को वितरित न कर दुरूपयोग किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में विभाग की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में पुलिस थाना कुचेरा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अंतिम प्रतिवेदन(एफ.आर.) की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। उक्त संबंध में निवेदन कि उक्त एफ.आर. न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक प्रकरण के संबंध में है और यह प्रकरण विभागीय प्रकरण है, जो पृथक कार्यवाही है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट ने उक्त अपील के माध्यम से अपने विरूद्ध आरोपों के खण्डन में कोई ठोस एवं प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी नागोर के आदेश दिनांक 05.04.2020 की पालना में प्रवर्तन निरीक्षक श्री योगेश कुमार द्वारा अपीलान्ट की शिकायत की जॉच हेतु ओलादन पहूँच कर निरीक्षण कर निरीक्षण प्रपत्र व फर्द मौका [illegible] दिनांक 05.04.2020 तैयार की एवं माधोसिंह पुत्र कानसिंह, प्रतापसिंह पुत्र लुणसिंह [illegible] पुत्र ईश्वरसिंह निवासीगण ओलादन के दिनांक 05.04.2020 को बयान आदि लिये गये। [illegible] सन्दर्भ में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध [illegible] 37/2020 दर्ज द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 06.04.2020 एवं तत्पश्चात दिनांक 16.06.20[illegible] को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट दिनांक 16.06.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:35:26 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात आगामी तारीख पेशी 24.06.2020, 07.07.2020 एवं 15.07.2020 नियत की गई, परन्तु उपर्युक्त तारीख पेशीयों पर अपीलान्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और न ही अपीलान्ट द्वारा स्वंय के बचाव में कोई जबाब प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड के आधार पर दिनांक 22.07.2020 को उक्त विभागीय प्रकरण में निर्णय पारित कर अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1000/–रूपये जब्त कर जारी प्राधिकार पत्र को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया। उपर्युक्त समग्र तथ्यों का अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में उसके विरूद्ध विभागीय प्रकरण की पूर्णतया जानकारी थी एवं अपीलान्ट को जबाब आदि प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर भी प्रदत्त किया गया था, परन्तु अपीलान्ट ने जानबूझ कर अपने विरूद्ध आरोपों के बचाव में कोई जबाब एवं साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जबाब एवं साक्ष्य सबूत क्यों नहीं पेश किये, इस संबंध में हस्तगत अपील में भी अपीलान्ट द्वारा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया है। अब अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गलत बताते हुए यह अपील प्रस्तुत की है, जो कतई उचित नहीं है। अपीलान्ट को अपने विरूद्ध आरोपों का खण्डन करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित अवसर दिया गया था, जिसका अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर उपयोग नहीं कर, अब अपीलान्ट द्वारा आरोपों का खण्डन अपील के माध्यम से अपीलीय न्यायालय में करना कतई विधि सम्मत नहीं है।

5(1)–अपीलान्ट द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक श्री योगेश कुमार द्वारा वक्त निरीक्षण उ0मू0दू0 पर सूचनाओं का अंकन नहीं करना पाया गया, जिसकी पुष्टि निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 05.04.2020 से होती है। अपीलान्ट द्वारा वक्त निरीक्षण उ0मू0दु0 पर सूचनाओं का अंकन होने बाबत कोई प्रमाणिक एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वक्त निरीक्षण मौके पर श्री प्रतापसिंह पुत्र लूणसिंह, नरपतसिंह पुत्र ईश्वरसिंह एवं माधोसिंह पुत्र कानसिंह निवासीगण ओलादन के पर्चा बयान लिए गये जिसमें उनके द्वारा उनके राशन कार्ड पर अपीलान्ट द्वारा 31 मार्च 2020 को गेहूॅं निकालना परन्तु उन्हे प्रदान नहीं करने का कथन किया है। फर्द मौका दिनांक 05.04. 2020 के अनुसार गांव की पोल में उपस्थित होकर उपभोक्ताओं द्वारा बताया कि मार्च 2020 का गेहूं उन्हे राशन डीलर अर्थात अपीलान्ट ने प्रदान नहीं किये। कई उपभोक्ताओं के मोबाईल नम्बरों पर ओटीपी आया कि आप गेहूॅं प्राप्त करे जबकि वो गेहूॅं लेने ही नहीं गये। निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 05.04.2020 पर अंकित है कि ''पोश मशीन में दर्ज केरोसीन की मात्रा के बारे में डीलर ने बताया कि यह गलती से पोश मशीन नम्बर 22664 में दर्ज हो गया है''। फूड एण्ड सिविल सप्लाई डिपार्टमेन्ट बेवसाईट से निकाली गई ट्रॉजेक्शन समरी रिपोर्ट के अनुसार एफपीएस कोड संख्या 22664 से 7370.00 किलोग्राम अर्थात 73.70 क्वींटल गैहूॅं एवं 40 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन नम्बर 22664 का माह मार्च 2020 का ओटीपी की वैकल्पिक व्यवस्था बाई रिजन के माध्यम से गेहूं 73.70 क्विंटल व 40 लीटर केरोसीन का वितरण किया हुआ है। खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांकः एफ–6( )खा.वि. / कम्प्युटर / PoS-Part-1 / 2018–19 दिनांक 18.03. 2020 के अनुसार कोरोना वाइरस बीमारी के कारण डीलर द्वारा लाभार्थी का राशनकार्ड नम्बर पोश मशीन में प्रविष्ट करने के पश्चात् लाभार्थी के मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा तत्पश्चात् पोश मशीन में ओ.टी.पी. नम्बर दर्ज कर राशन का वितरण पोश मशीन से किया जायेगा। यदि लाभार्थी डीलर को तय सीमा में ओ.टी.पी. उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो उस दशा में ही कारण अंकित करते हुए राशन का वितरण पोश मशीन से किया जायेगा तथा ऐसे सभी ट्रांजेक्शन की प्रविष्टि कारण सहित एक रजिस्टर में की जायेगी, के निर्देश है, उक्त पत्र दिनांक 18.03.2020 की प्रति अधिनस्थ न्यायालय ... पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा वितरण के संबंध में दौराने जांच कोई वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया है। इससे यह अवधारणा प्रबल होती है कि अपीलांट द्वारा ... रजिस्टर का संधारण ही नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा सूची दस्तावेज के साथ दिनांक 25.03.2021 को एफ.आर. की प्रमाणित प्रतियां न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है किन्तु वितरण रजिस्टर की प्रतियां अवश्य प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा दौराने जांच उक्त वितरण रजिस्टर प्रस्तुत क्यों नहीं किया इसका कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा बाद में सोच विचार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:35:26 IST
Reason: SelfAttested

कर अपने बचाव में बाद में वितरण रजिस्टर तैयार कर पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रतियां न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त गेहूं व केरोसीन उपभोक्ताओं को वितरित न कर दुरूपयोग किया गया है।

5(2)—अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में विभाग की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में पुलिस थाना कुचेरा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अंतिम प्रतिवेदन(एफ.आर.) के संबंध में प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा बहस में किया गया कथन कि उक्त एफ.आर. न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक प्रकरण के संबंध में है और यह प्रकरण विभागीय प्रकरण है, जो विभागीय प्रकरण एक पृथक कार्यवाही है। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। वकील अपीलान्ट ने उपर्युक्तानुसार आरोपों के खण्डन में कोई ठोस एवं प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर का निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

7. निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर

न्यायालय कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:35:26 IST
Reason: SelfAttested